35

एयर कॉम्बैट मैन्युवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का प्रापण

[समिति के 137वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

रक्षा मंत्रालय

लोक लेखा समिति
(2020-21)

पैंतीसवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पीएसी सं. 2243

पैंतीसवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

एयर कॉम्बैट मैन्युवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का प्रापण

[समिति के 137वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

रक्षा मंत्रालय

सत्यमेव जयते

.....को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

.....को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2021/ फाल्गुन, 1942 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ

लोक लेखा समिति (2020-21) की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय-एक प्रतिवेदन

अध्याय-दो टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

अध्याय-तीन टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति, सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

अध्याय-चार टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

अध्याय-पांच टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं

परिशिष्ट

एक. अनुबंध - एक

दो. लोक लेखा समिति (2020-21) की 10.03.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

दो. लोक लेखा समिति के एक सौ सैंतीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

लोक लेखा समिति (2020-21) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
5. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री अजय मिश्र टेनी
8. श्री जगदम्बिका पाल
9. श्री विष्णु दयाल राम
10. श्री राहुल रमेश शेवाले
11. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री जयंत सिन्हा
14. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
15. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

16. श्री राजीव चन्द्रशेखर
17. श्री नरेश गुजराल
18. श्री भुबनेश्वर कालिता
19. श्री मल्लिकार्जुन खरगे

20. श्री सी.एम. रमेश
21. श्री सुखेन्दु शेखर राय
22. श्री भूपेन्द्र यादव

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री टी.जी. चन्द्रशेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एस.आर.मिश्रा	-	निदेशक
3.	श्री पाउलिनलाल हॉकिप	-	अपर निदेशक
4.	श्री पंकज के. शर्मा	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2020-21) का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, रक्षा मंत्रालय से संबंधित "एयर कॉम्बैट मैन्युवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का प्रापण" विषयक समिति के एक सौ सैंतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह पैंतीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का एक सौ सैंतीसवां प्रतिवेदन 05 फरवरी, 2019 को लोक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार के उत्तर 23 सितंबर, 2020 को प्राप्त हो गए थे। समिति ने 10.03.2021 को हुई अपनी बैठक में इस विषय से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और तत्पश्चात, इसे स्वीकार किया। समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन में संलग्न है।

3. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को इस प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

4. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की सराहना करती है।

5. एक सौ सैंतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट - दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;
10 मार्च
~~फरवरी~~, 2021

~~माघ~~, 1942 (शक)
19 फाल्गुन

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय से संबंधित **"एयर कॉम्बैट मैन्युवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का प्रापण"** विषयक समिति के एक सौ सैंतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है।

2. समिति का एक सौ सैंतीसवां प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) 05 फरवरी, 2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, इसमें 06 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों से संबंधित की-गई-कार्रवाई टिप्पण, रक्षा मंत्रालय से प्राप्त हो गए हैं और इन्हें निम्नवत श्रेणीबद्ध किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

पैरा सं. 1,2,4 और 5

कुलः 04

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

पैरा सं. शून्य

कुलः 00

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है, और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

पैरा सं. 3 और 6

कुलः 02

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर/कोई उत्तर नहीं दिए हैं:

पैरा सं. शून्य

कुलः 00

अध्याय-पांच

3. रक्षा मंत्रालय से संबंधित **"एयर कॉम्बैट मैन्युवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का प्रापण"** विषय की विस्तृत जांच के दौरान, समिति ने पाया कि अधिक उड़ान परीक्षणों के कारण 10.35 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। इस संबंध में, समिति द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि अधिप्राप्ति और एसीएमआई प्रणाली के एकीकरण के साथ बेड़ा रूपांतरण योजना के साथ तालमेल न होने के कारण हुआ। समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि एसीएमआई प्रणाली, 167 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई थी, उसकी उपयोग अवधि का लगभग आधा भाग समाप्त होने तक उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा सका।

4. समिति ने यह भी पाया था कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के प्रावधान के साथ, एसीएमआई प्रणाली की खरीद नहीं की गई थी, जिससे स्पष्ट रूप से आपूर्तिकर्ता पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है।

5. समिति ने चिंता के साथ यह नोट किया था कि विक्रेता ने 15 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के बजाय पॉड इंटीग्रेशन ट्रायल (पीआईटी) के लिए 43 दिनों का लंबा समय लिया। मंत्रालय ने बताया है कि इस सौदे के लिए 5% का शास्ति खंड लगाया था और आपूर्तिकर्ता से 1.49 करोड़ रुपए का भुगतान कराया गया था। भविष्य में पहले से अपेक्षित सावधानी बरते जाने की समिति की सलाह को भी मंत्रालय ने माना है।

6. समिति के एक सौ सैंतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को इस प्रतिवेदन के संगत अध्यायों में पुनः उद्धृत किया गया है। उत्तरवर्ती पैराओं में, समिति ने अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में विचार किया है, जिन्हें दोहराए जाने अथवा जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

7. समिति इच्छा व्यक्त करती है कि रक्षा मंत्रालय, संसद में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के छह माह के अंदर अध्याय - एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों से संबंधित की-गई-कार्रवाई टिप्पण उपलब्ध कराए।

<u>प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण</u>

(सिफारिश सं. 03)

8. समिति ने यह नोट किया कि एसीएमआई, जिसे भारतीय वायु सेना में एकीकृत किया जा रहा है, वह एक उन्नत विमान युद्ध कौशल प्रणाली है, जिसकी प्रौद्योगिकी विश्व में केवल कुछ निर्माताओं के पास ही उपलब्ध है। यह प्रणाली मैसर्स बीवीआर सिस्टम लिमिटेड, इजराइल से खरीदी गई थी, जो मूल उपस्कर निर्माता (ओईएम) है, और वह प्रणाली की अधिप्राप्ति के लिए एल -1 विक्रेता के रूप में स्थान रखता था। तथापि, समिति ने यह पाया कि ओईएम के साथ संविदा पर हस्ताक्षर होने के स्तर से ही अनेक कमियां मौजूदा थी । प्रथम दृष्टांत में, समिति यह समझने में असमर्थ थी कि संविदा पर हस्ताक्षर होने के दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) को क्यों नहीं शामिल किया गया था। इस संबंध में, समिति, मंत्रालय के इस अभिकथन से सहमत नहीं थी कि टीओटी को संविदा में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। पुनः, समिति यह समझने में असमर्थ थी कि प्रस्ताव हेतु अनुरोध में इसकी परिकल्पना क्यों नहीं की गई थी। उनकी राय में, 167

करोड़ रु. मूल्य के 102 पाड्स और 5 ग्राउन्ड स्टेशनों की संख्या न तो कम थी और न ही तुच्छ राशि थी और आने वाले समय में टीओटी भारतीय वायु सेना को केवल प्रणाली के अनुरक्षण में ही नहीं अपितु प्रणाली के स्वदेशी निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, यदि आवश्यक हो, में भी निश्चित रूप से मदद करती। इसलिए, समिति उन परिस्थितियों से अवगत होना चाहती थी, जिनके कारण संविदा में टीओटी को शामिल नहीं किया गया था।

9. रक्षा मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

> "एसीएमआई पॉड्स और संबद्ध ग्राउन्ड स्टेशनों की अधिप्राप्ति केवल सीमित संख्या के लिए थी, और इसलिए, अधिप्राप्ति के समय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की परिकल्पना नहीं की गई थी। एसीएमआई पॉड्स किसी प्रकार के विमान के लिए विनिर्दिष्ट नहीं हैं, और 100 पॉड्स की वर्तमान इंवेंट्री भारतीय वायु सेना की तत्काल आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है । इसके अलावा, लड़ाकू विमानों के साथ साफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज (एसडीआर) के एकीकरण की चालू परियोजना भारतीय वायु सेना को नेटवर्क आधारित ऑपरेशनों को पूरा करने में समर्थ बनाएगी। ऐसे नेटवर्क आधारित ऑपरेशनों से प्राप्त प्रशिक्षण मूल्य, एसीएमआई ऑपरेशनों की तुलना में और अधिक संवर्धित हैं। अतः, एसीएमआई पॉड्स की और अधिप्राप्ति की परिकल्पना नहीं की गई है।"

10. समिति आगे सिफारिश करती है कि आधुनिकतम प्रौद्योगिकी/हार्डवेयर के अधिप्रापण के लिए, मंत्रालय किसी उत्पाद/प्रक्रिया को केवल निविदा देकर और इसे न्यूनतम बोलीदाता को देकर अधिगृहित नहीं कर सकता है। इसके बजाय, मंत्रालय को प्रौद्योगिकी साझेदारी अपनाना चाहिए जो न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, बल्कि परिवर्तनशील और विकासशील प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए, हमारे अनुसंधान को सुदृढ़ और भविष्य के अनुरूप तैयार

करेगा, और इस प्रकार यह सुनिश्चित करे कि नई प्रौद्योगिकी पर किए गए व्यय को किसी भी तरीके से अनुपयुक्त नहीं माना जाए।

बेड़ा रूपांतरण में विलंब
(सिफारिश सं. 06)

11. समिति के समक्ष जो एक चिंताजनक पहलू सामने आया है, वह है बेड़े के आधुनिकीकरण में हुआ विलंब, जिसका एसीएमआई प्रणाली की उपयोग अवधि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। समिति ने नोट किया कि एसीएमआई प्रणाली की उपयोग अवधि सुपुर्दगी की तिथि से 20 वर्ष है, और केवल विमान "डी" के एक प्रकार के सीरीज संशोधन का कार्य पूर्ण हुआ है। जैसा कि विमान "ई" और "एफ" के बेड़े के बारे में मंत्रालय / भारतीय वायु सेना द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि इन्हें आंशिक रूप से संशोधित कर दिया गया था। समिति यह भी नोट करती है कि एसीएमआई प्रणाली के एकीकरण के लिए भारतीय वायु सेना के विमान बेड़े के सभी प्रकार के विमानों के संपूर्ण बेड़े के संशोधन का कार्य 2020-21 के अंत तक भी पूर्ण नहीं होगा। इन तथ्यों से समिति चिंतित थी कि जब तक भारतीय वायुसेना का संपूर्ण बेड़ा संशोधित होगा, एसीएमआई प्रणाली की आधी उपयोग अवधि समाप्त हो जाएगी, और इस प्रकार इसके जीवनकाल में इसका इष्टतम प्रचालनात्मक उपयोग नहीं हो पाएगा। मंत्रालय / भारतीय वायु सेना ने एक तरफ यह दावा किया था कि प्रणाली अपनी उपयोग अवधि से परे भी कार्यात्मक एवं संक्रियात्मक रहेगी, तथा दूसरी तरफ मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत पृष्ठभूमि टिप्पण में कहा था कि प्रणाली की अवधि शर्तों के अधीन है । इस संबंध में समिति, मंत्रालय के दावे से सहमत नहीं थी तथा आश्चर्यचकित थी कि क्या एसीएमआई प्रणाली के साथ एकीकरण के लिए भारतीय वायु सेना का संशोधित बेड़ा आज के परिदृश्य में संगत होगा। मंत्रालय के मत में विरोधाभास एक बार और मंत्रालय / भारतीय वायु सेना की और से उपयुक्त योजना और दूरदर्शिता में कमी को उजागर किया। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की कि मंत्रालय / भारतीय वायु सेना सम्पूर्ण मामले को देखे तथा बेड़े के आधुनिकीकरण में हुए

विलंब जिसके परिणामस्वरूप बाद में हुई लागत वृद्धि के कारण भी बताए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि मंत्रालय / भारतीय वायु सेना पुनः विश्लेषण करे तथा भविष्य में किसी भी हार्डवेयर/प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण या कमीशनिंग के लिए मजबूत दिशानिर्देश तैयार करे तथा पूरी योजना तैयार करे। समिति ने यह भी सिफारिश की कि सभी उन्नयन कार्यों को कम-से-कम विलंब के साथ लागत प्रभावी तरीके से पूरा करे।

12. रक्षा मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"एयर काम्बैट मैन्युवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन (एसीएमआई) संविदा को अंतिम रूप देते समय, भारतीय वायु सेना के पास पुराने विमानों के साथ-साथ विमानों का उन्नत बेड़ा भी था। नए बेड़े से विमानों को एसीएमआई के साथ आशोधित किए जाने के लिए चयनित किया गया था। एसीएमआई पाइस को विभिन्न प्रकार के छह विमानों और उनकी संबंधित एवियोनिक्स प्रणालियों पर एकीकृत किए जाने की आवश्यकता थी। एवियोनिक्स मोड में एसीएमआई के एकीकरण के लिए चिह्नित प्लेटफार्म सुखोई-30, मिग-21 बाइसन, जगुआर, मिग-27 अपग्रेड, मिराज-2000 और मिग-29 अपग्रेड थे।

भारतीय वायु सेना ने एचएएल को एसयू-30, मिग-21 बाइसन तथा मिग-27 अपग्रेड के लिए प्रारंभिक मरम्मत, अनुरक्षण, आपूर्ति, आदेश (आरएमएसओ) प्रस्तुत किया था।

जगुआर विमान के आरएमएसओ को विमान के उड़ान मूल्यांकन परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर केवल विमान पर 73 पॉड को ले जाने की स्वीकृति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सका। यह विलंब संविदा पर हस्ताक्षर करने के समय ही प्रत्याशित था, और संविदा में टिप्पण के रूप में लिखा गया था कि *"जगुआर विमान पर एसीएमआई पॉड का उड़ान परीक्षण भारतीय वायु सेना द्वारा जगुआर विमान पर आर-73 को ले जाने की*

स्वीकृति एवं प्रमाणन प्राप्त करने के पश्चात किया जाएगा, जो कि इस संविदा के एआरए के पश्चात 19 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।"

संविदा में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि मिराज विमान के लिए एसीएमआई *"विक्रेता द्वारा विमान सर्वेक्षण के पश्चात एवियॉनिक्स मोड में, यदि संभव हो, तो प्रतिष्ठापित किया जा सकता है।"* ऐसा भारतीय वायु सेना के पास विमान जानकारी की अनुपलब्धता के कारण था।

मिग-29 विमान पर एसीएमआई अंगीकरण को उन्नयन कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया था, तथा इसलिए, एचएएल को कोई आरएमएसओ प्रस्तुत नहीं किया गया था।

मांगी गई जानकारी के संदर्भ में लोक सभा सचिवालय के प्रश्न संख्या 21 पर भारतीय वायु सेना के उत्तर कि "जब तक भारतीय वायु सेना का पूरा बेड़ा रूपांतरित होगा, तब तक एसीएमआई प्रणाली की आधी उपयोग अवधि खत्म हो चुकी होगी" का संदर्भ लिया जाए । इसका सार, सुलभ संदर्भ हेतु **अनुबंध-एक** के रूप में संलग्न है।

100 एसीएमआई पॉड्स की अधिप्राप्ति की गई थी जिनको 6 विभिन्न एयरबोर्न प्लेटफार्मों (विमान) के साथ एकीकृत किया जाना था। संविदा में एक निश्चित समय-सीमा में आशोधित किए जाने वाले विशिष्ट बेड़े के विमान की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। एसीएमआई पॉड एक यूनिवर्सल पॉड है तथा इसका किसी भी रूपांतरित विमान द्वारा ऐसे पॉडस को ले जाने के लिए इष्टतम उपयोग किया जा सकता है।

आज की स्थिति के अनुसार, लगभग 450 विमानों को एसीएमआई के साथ रूपांतरित किया गया है। इस प्रकार लगभग 4.5 एसीएमआई रूपांतरित

विमान, प्रत्येक एसीएमआई पॉड के लिए उपलब्ध है। भविष्य में इस संख्या में केवल वृद्धि ही होगी।

इसलिए, एसीएमआई आशोधनों रूपांतरणों को समस्त बेड़े के साथ जोड़ा जाना तथा लेखापरीक्षा का मत कि एसीएमआई प्रणाली की उपयोग अवधि बेकार कर दी गई है, सही नहीं है।"

13. लेखापरीक्षा ने अपने पुनरीक्षण टिप्पण में निम्नवत बताया:-

"अपने उत्तर में मंत्रालय ने उल्लेख किया कि एसीएमआई पॉड की उपयोग अवधि 'कम-से-कम' 20 वर्ष बताई, जिसमें से एसीएमआई पॉड की उपयोग अवधि के 10 वर्ष पहले ही अभीष्ट उपयोग के बिना समाप्त हो चुके हैं। चूंकि, एक प्रकार के विमान के लिए आरएमएसओ अभी शुरू नहीं हुआ था (सितंबर, 2017), इसके अलावा, इन पॉड की शेष उपयोग अवधि का पर्याप्त उपयोग करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। बेड़ा संशोधन संबंधी सूचना देने के बदले एसीएमआई संशोधित विमान की उपलब्धता की जानकारी दी गई है।"

14. अपने अद्यतन उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"एसीएमआई पॉड एक यूनिवर्सल पॉड है तथा इसका किसी भी एसीएमआई रूपांतरित विमान पर उपयोग किया जा सकता है। यह विवरण कि "20 वर्षों में से, एसीएमआई पॉड की उपयोग अवधि के 10 वर्ष, अभीष्ट उपयोग के बिना पहले ही समाप्त हो चुके हैं" सही नहीं है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, अभीष्ट उपयोग के अनुसार, एसीएमआई पॉड का कुछ विमानों अथवा अन्य एसीएमआई रूपांतरित विमान पर हमेशा उपयोग किया जाता रहा है। तथापि, मिराज 2000, मिग-29 विमान पर उनके रूपांतरण में विलंब के कारण इसका उपयोग विलंब से शुरू हुआ।

वर्तमान में, 378 एसीएमआई रूपांतरित विमान प्रशिक्षण के लिए 100 एसीएमआई पॉड का उपयोग करने के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए, लगभग हर 04 रूपांतरित विमान के लिए कम-से-कम एक एसीएमआई पॉड उपलब्ध है। सभी एसीएमआई पॉड का रूपांतरित विमान द्वारा उपयोग किया जा रहा है, और इस प्रणाली का अभीष्ट उद्देश्य के लिए पूर्ण उपयोग किया जा रहा है।"

15. समिति ने यह नोट करते हुए कि एसीएमआई के साथ एकीकरण के लिए भारतीय वायु सेना के विमान बेड़ा के सभी प्रकार के विमानों के पूर्ण बेड़े का रूपांतरण वर्ष 2020-21 तक ही पूरा हो पाएगा, यह चिंता व्यक्त की थी कि भारतीय वायु सेना के संपूर्ण बेड़े का रूपांतरण किए जाने तक एसीएमआई की 20 वर्षों की सेवा अवधि समाप्त हो जाएगी। इसलिए, समिति, मंत्रालय के इस दावे से सहमत नहीं थी कि 20 वर्षों की उपयोग अवधि के के बाद भी प्रणाली कार्यशील और प्रचालनात्मक रहेगी। इसके परिणामस्वरूप, यह आशंका व्यक्त की गई थी कि क्या वर्तमान परिदृश्य में एसीएमआई प्रणाली के साथ भारतीय वायु सेना के बेड़े का रूपांतरण प्रासंगिक होगा? इसके अलावा, समिति ने रक्षा मंत्रालय/भारतीय वायु सेना की उपयुक्त योजना और दूरदर्शिता की कमी के पहलू पर प्रकाश डाला था, और अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायु सेना पुनर्विचार करे और भविष्य में किसी हार्डवेयर/प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण करने और उसका उपयोग शुरू करने के लिए सख्त दिशानिर्देश तैयार करे और उपयुक्त प्रयास करे। इस संबंध में, मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है। इसे देखते हुए, समिति, भविष्य में कोई हार्डवेयर/प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण करने और उसका उपयोग शुरू करने के लिए सख्त दिशानिर्देश तैयार करने की अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है, ताकि ऐसी प्रौद्योगिकियों का तत्काल और इष्टतम अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय - पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर/कोई उत्तर नहीं दिए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;

मार्च, 2021

फाल्गुन, 1942 (शक)

अधीर रंजन चौधरी

सभापति,

लोक लेखा समिति